भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 118

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मासिक धर्म स्वच्छता

118. श्री बैन्नी बेहननः

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर के विद्यालयों में स्वच्छता और अवसंरचना के अभाव में किशोरावस्था में पहुचने वाली किशोरियों के द्वारा विद्यालय छोड़ने के मुद्दे के समाधान हेतु किसी उपाय/योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वार इस संबंध में क्या उपाय/कदम उठाए गए हैं।उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार देश में 50 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं मासिक धर्म के दौरान अस्वच्छ तरीकों का उपयोग कर रही हैं जिससे उनके स्वास्थ्य को अनेक खतरे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ) भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार करने के लिए योजनाएं/अंत:क्षेप कार्यान्वित कर रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10-19 वर्ष आयु वर्ग की सभी किशोरियों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली योजना का कार्यान्वयन करता है। इस योजना का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में किशोरियों के बीच जागरूकता

बढ़ाना, किशोरियों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन पहुंच उपयोग में वृद्धि करना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है। स्कूलों में सुरक्षित और मासिक धर्म स्वास्थ्य पद्धतियों के बारे में किशोरियों के बीच जागरूकता सृजन कार्य स्कूलों में मौजूदा सेवा प्रदायगी और स्वास्थ्य संवर्धन तंत्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार अनुमोदित निधियों से किशोरियों और अन्य हितधारक के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईईसी/बीसीसी कार्यकलाप चलाए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को योजना के प्रति संवेदनशील बनाने और योजना के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए एनएचएम के तहत उनके क्षमता निर्माण में भी सहायता दी जाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समग्र शिक्षा नामक एक समेकित योजना कार्यान्वित की है जिसके तहत सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और भस्मक स्थापना सहित मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में विभिन्न उपायों के लिए राज्य विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोरियों हेतु योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत एक घटक किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषणिक स्तर में सुधार करना तथा उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए प्रेरित करना है।

इसके अलावा,मिशन शक्ति के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) घटकों का एक उद्देश्य मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पहलू पर व्यवहार परिवर्तन से संबंधित अपने समग्र हस्तक्षेपों के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के बारे में राष्ट्रीय दिशा-निर्देश बनाए हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को लागू करता है, जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के तहत, देश भर में 9000 से अधिक जनऔषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं जो केवल 1/- रुपये प्रति पैड की दर पर 'सुविधा' नामक ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन प्रदान करते हैं।

सरकार द्वारा की गई पहल के सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एनएफएचएस 5) की रिपोर्ट में परिलक्षित होते हैं, जो दर्शाता है कि मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा की स्वच्छ पद्धति का उपयोग करने वाली 15-24 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रतिशत एनएफएचएस 4 (2015-16) में 57.6% से बढ़कर एनएफएचएस 5 (2019-21) में 77.3% हो गया है। इसी तरह, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग भी 42% से बढ़कर 64% हो गया है।

*****